प्रकाशनार्थ

अधिक ऊंची हैसियत या आय वाली पत्नियों से पुरुषों को परेशानी होती है : यूके के शोधकर्ता

पटना, 9 सितंबर। आज गुरुवार को एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) द्वारा एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान का शीर्षक था - ''डॉन्ट क्रॉस द लाइन : बाउंडिंग द कौजल एफेक्ट ऑफ हाइपरगेमी वायलेशन ऑन डॉमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया'' (सीमारेखा पार नहीं करें : भारत में घरेलू हिंसा पर अनुलोम विवाह के उल्लंघन के कारणात्मक प्रभाव का सीमांकन)। व्याख्यान यूनाइटेड किंगडम के नॉटिंघम विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य डॉ. पुनर्जीत राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सत्र की अध्यक्षता बिहार के महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बाम्हरा ने की।

अपने व्याख्यान में डॉ. राय चौधरी ने इस विषय पर किए गए अपने शोध के परिणामों को पेश किया कि अनुलोम विवाह (हाइपरगेमी) के उल्लंघन का घरेलू हिंसा पर कारणात्मक प्रभाव होता है या नहीं। अनुलोम विवाह का उल्लंघन तब होता है जब पत्नी की आर्थिक हैसियत अपने पति की हैसियत के बराबर या उससे अधिक हो जाती है।

डॉ. राय चौधरी का शोध बहुत तकलीफदेह रुझान को दर्शाता है। उनका कहना है कि ''अनुलोम विवाह के उल्लंघन के कारण घरेलू हिंसा में काफी वृद्धि होती है। इस उल्लंघन से लैंगिक भूमिका के बारे में पितृसत्तात्मक विश्वासों और प्रचलनों के कमजोर पड़ने की संभावना होती है। इससे आशंका बढ़ जाती है कि पुरुष घरेलू हिंसा का उपयोग अपनी पत्नियों की 'श्रम बाजार संबंधी संभावनाओं' को नुकसान पहुंचाने के साधन के बतौर करें।''

विशेषज्ञ डॉ. राय चौधरी की राय में, महिलाओं का सशक्तीकरण करने वाली नीतियों से विरोधाभासी तौर पर महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा का शिकार होने की आशंका बढ़ जा सकती है।

व्याख्यान में पटना और देश के अन्य स्थानों के विद्वानों और शिक्षाविदों ने भाग लिया।

(अंजनी कुमार वर्मा)